समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

RBI देगा डिजिटल फ्रॉड मे नुंकसान पर ₹25,000 तक मुआवजा

Publisher Published on 06 Feb 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आज एक बड़ा निर्णय लेते हुए **डिजिटल धोखाधड़ी (digital fraud)** के तहत हुए नुकसान के लिए ग्राहकों को **₹25,000 तक का मुआवजा देने का प्रस्ताव** पेश किया है। यह घोषणा RBI के **मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee — MPC)** की बैठक में की गई, जिसमें कई उपभोक्ता-सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है।

RBI गवर्नर **संजय मल्होत्रा** ने बताया कि इस नई योजना का लक्ष्य **डिजिटल भुगतान से जुड़ी धोखाधड़ी के जोखिम को कम करना और आम बैकं उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा का जाल देना** है। ग्राहकों को **छोटे मूल्य के फ्रॉड लेन-देनों (small-value fraudulent transactions)** में हुए नुकसान के लिए **₹25,000 तक**, या वास्तविक नुकसान के हिसाब से **85% तक (जो भी कम हो)**, मुआवजा मिल सकेगा। यह व्यवस्था *[illegible]* होगी।

इस मुआवजे के ढांचे में **RBI, बैकं और ग्राहक तीनों की हिस्सेदारी** तय की गई है — जिसमें RBI प्रमुख हिस्सा संभालेगा और बाकी बैंक तथा ग्राहक मिलकर बाँटेंगे। यह कदम **डिजिटल भुगतानों मे बंढ़ते धोखाधड़ी के मामलों** के बीच ग्राहकों के मनोबल को फिर से मजबूत करने की कोशिश है।

साथ ही RBI ने कहा है कि **डिजिटल भुगतान सुरक्षा को और बढ़ाया जाएगा**, जिसमें बुजुर्गों के लिए **अतिरिक्त प्रमाणीकरण**, *'[illegible]'* जैसे उपाय और **ग्राहक उत्तरदायित्व सीमा को स्पष्ट करना** शामिल है। इसके अलावा, बैंकिंग वित्तीय उत्पादों का **गलत बेचने (mis-selling)** और **लोन रिकवरी एजेण्ट्स के व्यवहार** पर भी नए ड्राफ्ट नियम तैयार किए जा रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम **डिजिटल लेन-देनों के प्रति उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाने** में मदद करेगा, और साइबर फ्रॉड से सुरक्षित बैंकिंग अनुभव देगा — खासकर उन लोगों को जिनका नुकसान ₹50,000 से कम होता है, जो लगभग **65% फ्रॉड**

मामलों में होता है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.